एसी:04:01	**अध्यक्ष द्वारा सदन से कार्यवाही शुरू करने का आह्वान**

[कार्यबिंदु:

04.01.1 अध्यक्ष जी से चर्चा शुरू करने की इजाजत मांगी गई।

कार्यवृत:

04.01.1 प्रो. महेंद्र पी लामा, कुलपति ने बैठक की अध्यक्षता की और सदन को कार्यवाही शुरू करने का कहा।

एसी:04:02	**मृत्यु सूचना**

कार्यवृत:

04.02.1 निम्नलिखित हस्तियों के विगत कुछ समय पहले हुए देहावसान समाचार को गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए सदन में सुनाया गया।

I श्री पेम्बा थोंडुप, सेवानिवृत्त निदेशक, आईपीआर और मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी

II श्री तमदिंग दोर्जी तेनजिंग, पुलिस महानिरीक्षक, सिक्किम सरकार

III श्री पीबी चक्रवर्ती, ताशी नाम्ग्याल अकादमी, गंगटोक के सेवानिवृत्त शिक्षक

04.02.2 शैक्षणिक परिषद ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में और उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप दो मिनट का मौन रखा और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को अपनी गहरी संवेदना और शोक संतप्तता से अवगत कराया।

एसी:04:03	**कुलपति द्वारा परफार्मेंस पर प्रकाश**

कार्यवृत:

04.03.1 शैक्षणिक परिषद की पिछली के बाद से संपन्न विभिन्न गतिविधियों पर कुलपति ने अपना अवलोकन व्यक्त किया। उन्होंने इस पर पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया जिसकी परिषद के सदस्यों ने सराहना की। **(अनुलग्नक एसीएम1)**

कार्यवृत:

04.03.1 सदन ने इच्छा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय दिवंगत राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के 125वें जन्म दिवस को मनाने पर विचार करे। साथ ही शैक्षणिक परिषद के सदस्यों की सहायता से ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन पर भी विचार किया गया।

04.03.2 सदस्यों ने नृविज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों एवं फैकल्टी को क्रेडिट आधारित बाह्य प्रशिक्षण पर सुझाव दिया।

एसी:04:04	**दिनांक- 26.10.2009 को शैक्षणिक परिषद की संपन्न बैठक के कार्यवृत की पुष्टि**

*[**कार्यबिंदु:**

04.04.1 दिनांक-09.02.2010 के पत्र द्वारा कार्यवृत का परिचालन सदस्यों के बीच किया गया। सदस्यों से कोई भी टिप्पणी नहीं प्राप्त हुई। अत: से यह अनुरोध किया गया कि पिछली बैठक दिनांक- 26.10.2009 के कार्यवृत जोकि अनुलग्नक एसीएम2 पर संलग्न है उसका पुष्टिकरण किया जाए।

कार्यवृत:

04.04.2 शैक्षणिक परिषद ने दिनांक- 22.05.2009 की बैठक के कार्यवृत पर विचार करते हुए उसे पुष्ट कर दिया। हालांकि यह भी सुझाव दिया गया कि मीटिंग के 15 दिन पहले कार्यवृत का परिचालन कर दिया जाए। सचिव ने सुझाव को मान लिया।

एसी:04:05	**दिनांक- 26.10.2009 को शैक्षणिक परिषद की संपन्न बैठक के कार्यवृत पर कृत कार्यवाही रिपोर्ट**

[**कार्य बिंदु:**

03.05.1 दिनांक- 26.10.2009 को शैक्षणिक परिषद की संपन्न बैठक के कार्यवृत पर कृत कार्यवाही रिपोर्ट अनुलग्नक एसीएम3 पर संलग्न है।

कार्यवृत:

03.05.2 अनुलग्नक एसीएम3 पर संलग्न दिनांक- 26.10.2009 को शैक्षणिक परिषद की संपन्न बैठक के कार्यवृत का सदन ने संज्ञान लिया।

एसी:04:06	**मानसून(दिसंबर 2009) का परीक्षा परिणाम**

[**कार्यबिंदु:**

***04.06.1** कार्यबिंदु के साथ मानसून (दिसंबर 2009) के परीक्षा परिणाम का परिचालन किया गया। इसमें इस बात का जिक्र किया गया कि आखिरी परीक्षा दिनांक के निर्धारित 20 दिन के बदले 19 दिन में परीक्षा फल की घोषणा कर दी गई। कार्यक्रमवार/कॉलेजवार/संस्थान बार परीक्षा परिणाम विश्लेषण अनुलग्नक एसीएम4 पर उपलब्ध है।*

कार्यवृत:

सदन ने अपने समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया और इस बात कि प्रशंसा की कि पिछले तीन सेमेस्टर से परीक्षा परिणाम की घोषणा समय पूर्व कर दी गई।

हालांकि, सदन ने यह पाया कि किसी कोर्स/संस्थान की शत-प्रतिशत सफला भी कोई सकारात्मक रूझान नहीं है। ऐसे में विश्वविद्यालय को अपने मूल्यांकन में सुधार को भी सोचना चाहिए। विश्वविद्यालय को इस विचार करना चाहिए कि 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम कोई अच्छा संकेतक नहीं है और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार लाया जाना चाहिए।

एसी:04:07	**परीक्षा संबंधी अध्यादेश में संशोधन**

[कार्यबिंदु:
04.07.3 शैक्षणिक परिषद से विचार एवं अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया।

कार्यवृत:

04.07.4 सदन ने संशोधनों पर विचार किया और नीचे उल्लिखित निम्नलिखित खंडों पर संशोधन का सुझाव दिया।

खंड 05.13.(5) (a) – एनएसएस/एनसीसी में भाग लेने वाले छात्रों की उपस्थिति में छूट के मुद्दे पर यह कहा गया कि इसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि कितने दिनों की सहभागिता में कितनी छूट मिलनी चाहिए।

संशोधित खंड इस प्रकार होगा:

खंड 05.13 (5) (b) – इसी तरह खेलों/यूथ फेस्टिवल/प्रतियोगिताओं आदि में भाग लेने वाले छात्रों की उपस्थिति से छूट के मामलों में सदन की यह इच्छा है कि इस संबंध में कोई राइडर नहीं होना चाहिए जो अनुपस्थिति को प्रतिबंधित करे। सदन के सुझाव के अनुसार संशोधित खंड निम्न प्रकार होगा।

खंड 05.13.(5) (c) – कोई सुझाव नहीं

इस संशोधनों के सुझाव के साथ कार्यकारी परिषद को अनुमोदनार्थ भेज दिया गया।

एसी:04:08	**शून्य सेमेस्टर खंड**	

[कार्यबिंदु:

4.08.1 शून्य सेमेस्टर की सुविधा पाने के लिए मानसून सेमेस्टर (दिसंबर 2009) की परीक्षा में विश्वविद्यालय को 63 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों की जांच उपरांत वास्तविक मामलों में कुलपति ने इसे शैक्षणिक परिषद को अग्रेषितक करने पर सहमति व्यक्त की लेकिन संशय वाले मामलों में छात्रों से चिकित्सा प्रमाण-पत्र सहित और अधिक विवरण देने को कहा गया ताकि उसकी सत्यता की जांच हो सके। अधिकांश मामलों में अनुरोध सही नहीं पाए गए और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। अंतिम रूप से सही पाए गए अनुरोध जिन्हें शैक्षणिक परिषद को अग्रेषित किया गया वे अनुलग्नक एसीएम5 पर हैं।

04.08.2 शैक्षणिक परिषद से अनुमोदन का अनुरोध किया गया।

कार्यवृत

04.08.3 सदन ने विस्तृत चर्चा उपरांत शून्य सेमेस्टर वाली सूची जो अनुलग्नक एसीएम5 पर है, को अनुमोदित कर दिया।.

एसी:04:09	**निरीक्षण कमिटी की रिपोर्ट- पाकिम पैलेंटाइन कॉलेज**

[कार्यबिंदु:

04.09.1 निरीक्षण समिति ने दिनांक- 23.11.2009 को कॉलेज का दौरा किया और सिफारिश की कि विभिन्न शर्तों के अधीन कॉलेज प्रवेश विशेषाधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है।

कार्यवृत:

04.09.2 सदन ने निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर ध्यान से और विस्तार से विचार किया। सदन इस बात से सहमत था कि मई 2010 में समिति के दूसरे निरीक्षण के बाद मामले को सदन के समक्ष रखा जाए। सदन हालांकि इस शर्त से सहमत नहीं था कि अगर निरीक्षण समिति की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों एवं शर्तों को कॉलेज द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो उसे विश्वविद्यालय वर्ष 2010-11 के लिए कॉलेज की संबद्धता को नवीनीकृत नहीं करे। सदन का सुझाव था कि छात्रों के हित कॉलेज को विश्वविद्यालय द्वारा और अधिक समय दिया जाना चाहिए ताकि वह जरूरी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और इसे वर्ष 2010-11 के लिए संबद्धता नवीनीकरण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

सदन ने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय स्व-वित्त पोषित कॉलेजों की संबद्धता के लिए एक अलग से अध्यादेश का मसौदा तैयार कर इस पर विचार कर सकता है।

04.09.3 उक्त टिप्पणियों के साथ सदन ने कार्यबिंदु को संज्ञान में लिया।

एसी:04:10	**निरीक्षण कमिटी की रिपोर्ट- गवर्नमेंट कॉलेज, रेनॉक**

[कार्यबिंदु:

04.10.1 निरीक्षण कमिटी ने दिनांक- 23.11.2009 को कॉलेज का निरीक्षण किया और सिफारिश की कि कॉलेज द्वारा प्रवेश विशेषाधिकारों का इस्तेमाल शर्तों के अधीन ही किया जाना चाहिए। कॉलेज द्वारा निरीक्षण समिति की शर्तों का पालन किया गया या नहीं इस बात की जांच के लिए समिति ने मई 2010 में दोबारा निरीक्षण करने का फैसला लिया।

कार्यवृत:

04.10.2 सदन ने निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर ध्यान से और विस्तार से विचार किया। सदन इस बात से सहमत था कि मई 2010 में समिति के दूसरे निरीक्षण के बाद मामले को सदन के समक्ष रखा जाए। सदन ने यह विचार किया कि विश्वविद्यालय इस संबंध में निरीक्षण कमिटी के लिए अलग से शर्तावली (टी.ओ.आर.) बनाए ताकि प्रवेश विशेषाधिकारों पर दिए गए उनके जवाब को भी ध्यान में रखा जाए।

एसी:04:11	**निरीक्षण कमिटी की रिपोर्ट- दाम्बर सिंह कॉलेज, तादोंग**

[कार्यबिंदु:

04.11.1 निरीक्षण कमिटी ने दिनांक- 24.11.2009 को कॉलेज का निरीक्षण किया और सिफारिश की कि कॉलेज द्वारा प्रवेश विशेषाधिकारों का इस्तेमाल शर्तों के अधीन ही किया जाना चाहिए। कॉलेज द्वारा निरीक्षण समिति की शर्तों का पालन किया गया या नहीं इस बात की जांच के लिए समिति ने मई 2010 में दोबारा निरीक्षण करने का फैसला लिया।

04.11.2 कॉलेज द्वारा निरीक्षण समिति की शर्तों का पालन किया गया या नहीं इस बात की जांच के लिए समिति ने मई 2010 में दोबारा निरीक्षण करने का फैसला लिया।

कार्यवृत:

04.11.3 सदन ने निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर ध्यान से और विस्तार से विचार किया। सदन इस बात से सहमत था कि मई 2010 में समिति के दूसरे निरीक्षण के बाद मामले को सदन के समक्ष रखा जाए। सदन इस बात से सहमत था कि समिति के मई 2010 में दोबारा निरीक्षण के बाद मामले को सदन के समक्ष रखा जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि एक मई 2010 में होने वाले निरीक्षणों की कमिटी में से एक की प्रमुख डॉ. नीलिमा देशमुख होंगी।

एसी:04:12	**निरीक्षण कमिटी की रिपोर्ट- नामची गवर्नमेंट कॉलेज**

[कार्यबिंदु:

04.12.1 निरीक्षण कमिटी ने दिनांक- 11.12.2009 को कॉलेज का निरीक्षण किया और सिफारिश की कि कॉलेज द्वारा प्रवेश विशेषाधिकारों का इस्तेमाल शर्तों के अधीन ही किया जाना चाहिए। कॉलेज द्वारा निरीक्षण समिति की शर्तों का पालन किया गया या नहीं इस बात की जांच के लिए समिति ने मई 2010 में दोबारा निरीक्षण करने का फैसला लिया।

कार्यवृत:

04.12.2 सदन ने निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर ध्यान से और विस्तार से विचार किया। सदन इस बात से सहमत था कि मई 2010 में समिति के दूसरे निरीक्षण के बाद मामले को सदन के समक्ष रखा जाए। सदन इस बात से सहमत था कि समिति के मई 2010 में दोबारा निरीक्षण के बाद मामले को सदन के समक्ष रखा जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि एक मई 2010 में होने वाले निरीक्षणों की समिति में से एक का प्रमुख डॉ. जी.एस. योनजोन होंगे।

एसी:04:13	**निरीक्षण कमिटी की रिपोर्ट- गवर्नमेंट बीएड कॉलेज, सोरेंग**

[कार्यबिंदु:

04.13.1 निरीक्षण कमिटी ने दिनांक- 11.12.2009 को कॉलेज का निरीक्षण किया और सिफारिश की कि कॉलेज द्वारा प्रवेश विशेषाधिकारों का इस्तेमाल शर्तों के अधीन ही किया जाना चाहिए। कॉलेज द्वारा निरीक्षण समिति की शर्तों का पालन किया गया या नहीं इस बात की जांच के लिए समिति ने मई 2010 में दोबारा निरीक्षण करने का फैसला लिया।

कार्यवृत:

04.13.2 सदन ने निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर ध्यान से और विस्तार से विचार किया। सदन इस बात से सहमत था कि मई 2010 में समिति के दूसरे निरीक्षण के बाद मामले को सदन के समक्ष रखा जाए। सदन इस बात से सहमत था कि समिति के मई 2010 में दोबारा निरीक्षण के बाद मामले को सदन के समक्ष रखा जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि एक मई 2010 में होने वाले निरीक्षणों की समिति में से एक का प्रमुख डॉ. जी.एस. योनजोन होंगे।

एसी:04:14	**सिक्किम सरकार द्वारा मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव**

[कार्यबिंदु:

04.14.1 सिक्किम सरकार ने अपने दिनांक- 20.11.2009 के पत्र में कहा है कि उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अनुसार जिन राज्यों में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) राष्ट्रीय औसत से कम है, वहां मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए सिक्किम के सभी चार जिलों की पहचान की गई है। उपरोक्त के अनुसार राज्य सरकार उत्तरी जिले के मंगशीला में और पश्चिम जिले के यांगथांग में दो मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना की योजना बना रही है, जिसकी संबद्धता सिक्किम विश्वविद्यालय से प्रदान की जाए। उपरोक्त योजना के अनुसार संबद्ध विश्वविद्यालय एक विस्तृत परियोजना तैयार कर यूजीसी को पेश करे। इस प्रकार राज्य सरकार ने सिक्किम विश्वविद्यालय से अनुरोध किया कि वे इसे तैयार करे और यह भी आश्वासन दिया कि सिक्किम सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की इंजीनियरिंग सेल विश्वविद्यालय को बीपी योजनाओं और अनुमानों की तैयारी में सभी सहायता प्रदान करेगी।

04.14.2 सिक्किम विश्वविद्यालय ने अपने दिनांक- 21 दिसंबर, 2009 के पत्र द्वारा इसका जवाब दिया, हालांकि सिक्किम सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा जारी है। उपर्युक्त विवरण परिषद के समक्ष भी रखा गया।

कार्यवृत:

कमिटी ने इस पर विचार के बाद यह निर्देश दिया कि सिक्किम सरकार से पूरा विवरण आने के बाद उसे प्रस्तुत किया जाए।

एसी:04:15	**2008-09 की वार्षिक रिपोर्ट**

[कार्यबिंदु:

04.15.1 दिनांक- 11.12.2009 को आयोजित परिषद की बैठक में परिषद ने प्रारूप वार्षिक रिपोर्ट पर विचार किया और कुलपति को जैसा उचित समझें आवश्यक संशोधनों के साथ उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया ताकि उसे इसके बाद संसदीय सदन के समक्ष रखा जा सके।

04.15.2 अंतिम वार्षिक रिपोर्ट अलग से सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे परिषद ने संज्ञान में लिया।

कार्यवृत:

04.15.3 सदन ने वर्ष 2008-09 के वार्षिक रिपोर्ट को विचार करते हुए अपने संज्ञान में लिया।

एसी:04:16	**पाठ्यचर्या विकास समिति का गठन**

[कार्यबिंदु:

04.16.1 अगले शैक्षिक सत्र 2010-2011 (मानसून सेमेस्टर) से सात नए कोर्स (विभाग) यथा, (I) रासायनिक विज्ञान विभाग (ii) भूगोल विभाग (iii) चीनी भाषा में एकीकृत पाठ्यक्रम (iv) बी. फार्मा और एम. फार्मा में एकीकृत पाठ्यक्रम (v) अर्थशास्त्र विभाग (vi) एथनो-बोटनी एवं सामाजिक चिकित्सा विभाग और (vii) पत्रकारिता और जनसंचार विभाग शुरू किए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों के डिजाइन और विकास की प्रक्रिया जारी है और यह दो चरणों में संपन्न होगा:

प्रथम चरण: एक या दो विशेषज्ञों द्वारा मसौदा पाठ्यक्रम का निर्माण

द्वितीय चरण: विशेषज्ञों की समिति द्वारा(पाठ्यचर्या डिजाइनिंग समिति)मसौदा पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देना

04.16.2 सदन से उपर्युक्त कार्यबिंदु को संज्ञान में लेने का अनुरोध है।

कार्यवृत:

04.16.3 सदन ने कार्यबिंदु पर विचार किया गया तथा कुलपति द्वारा पाठ्यचर्या डिजाइन हेतु उठाए गए कदमों एवं नामांकन प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।

एसी:04:17	**वर्ष 2010 के लिए अकादमिक कैलेंडर**

[कार्यबिंदु:

04.17.1 अनुलग्नक एसी IV-10 अकादमिक कैलेंडर संलग्न कर शैक्षणिक परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखा गया।

कार्यवृत:

सदन ने अकादमिक कैलेंडर पर विचार कर अपने संज्ञान में लिया।

एसी:04:18	**जुलाई 2010 में शुरू होने वाले नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा**

[कार्यबिंदु:

04.18.1

विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2010-11 के लिए 8 एवं 9 मई, 2010 को भूटान एवं नेपाल के विभिन्न केंद्रों पर विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा।

कार्यवृत:

04.18.2 सदन ने कार्यबिंदु पर विचार किया और उसका अनुमोदन कर दिया और प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के लिए कुलपति को प्राधिकृत किया।

एसी:04:19	**परियोजना/शोध प्रबंध पर्यवेक्षण और मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश**

[कार्यबिंदु: 04.19.1

वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक/परानस्नातक स्तर पर 12 कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है जिसमें परियोजना/शोध प्रबंध लेखन पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। मानसूनस सत्र 2010 से शुरू होने वाले पाठ्यक्रमों में भी यही नियम लागू होगा। यह प्रस्तावित किया गया कि पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं परियोजना रिपोर्ट/शोध प्रबंध हेतु एक सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया जाए और इसे शैक्षणिक परिषद के समक्ष रखा जाए और अंतिम अनुमोदन कार्यकारीप परिषद से प्राप्त किया जाए।

कार्यवृत:

सदन ने उक्त मार्गदर्शन पर विचार किया और कार्यकारी परिषद से अनुमोदन की सिफारिश की।

एसी:04:20	**विश्वविद्यालय परीक्षा संचालन के भुगतान मापदंड**

[कार्यबिंदु:

04.20.1

विश्वविद्यालय प्रत्येक सेमेस्टर में सभी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर मध्य सत्र परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा और सत्रांत परीक्षा का आयोजन सभी संबद्ध कॉलेजों/संस्थानों में आयोजित करता है। अधिनियम, संविधि एवं अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार इन संस्थानों में परीक्षा कार्य में संलग्न प्रत्येक कार्यबल यथा पेपर सेटर्स, मॉडरेटर, परीक्षक, मूल्यांकनकर्ता, सारणीयक, प्रेक्षक और अन्य स्टाफ सदस्यों को उचित मानदेय दिया जाए। परीक्षा कार्य में संलग्न स्टाफ को सत्रांत परीक्षा का परिणाम 20 दिन के अंदर घोषित करने के लिए अतिरिक्त घंटे काम करने के एवज में सांकेतिक मानदेय दिए जाने की आवश्यकता है। परीक्षा संचालन के लिए भुगदान मापदंड को परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखा गया।

कार्यवृत:

04.20.2 सदन ने उक्त भुगतान मापदंड के कार्यकारी परिषद के अंतिम अनुमोदन हेतु सिफारिश की।

एसी:04:21	**परीक्षाओं की व्यवस्था, संचालन और अधीक्षण पर प्रथम अध्यादेश में संशोधन – विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं हेतु छात्रों में अनुशासन का प्रावधान**

[कार्यबिंदु:

04.21.1

सिक्किम विश्वविद्यालय दिसंबर, 2008 से नौ संबद्ध कॉलेजों/संस्थानों एवं विश्वविद्यालय के विभागों में सेमेस्टर सिस्टम के तहत परीक्षा का आयोजित कर रहा है। अब तक तीन सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं। इन परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक ने कुछ छात्रों द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को प्रतिवेदित किया गया। विश्वविद्यालय इस तरह के मामलों से निपटने के लिए अपने नियम और प्रक्रियाएं चाहता है।

04.21.2 उपर्युक्त कार्यबिंदु जो उप खंड 05.8(3) परीक्षाओं की व्यवस्था, संचालन और अधीक्षण पर प्रथम अध्यादेश में संशोधन से संबंधित है, जिसमें परीक्षा निकाय के कर्तव्य एवं उसकी कार्यावधि एवं नियुक्ति के साथ-साथ मोडरेटर एवं परीक्षक भी शामिल है, को परिषद के समक्ष रखा गया और उसे कार्यकारी परिषद के अनुमोदन पाने हेतु सिफारिश की गई।

कार्यवृत:

04.21.3 सदन ने कार्यबिंदु पर विस्तार से चर्चा उपरांत उसे कार्यकारी परिषद के पास संगत संशोधन हेतु भेजने की सिफारिश की।

एसी:04:22	**अध्यापन एवं परीक्षा माध्यम पर अध्यादेश**

[कार्यबिंदु:

अध्यादेश

04:22.1 यह अध्यादेश ''अध्यापन एवं परीक्षा माध्यम'' अध्यादेश कहलाएगा। यह अध्यादेश मानसून सेमेस्टर- जुलाई 2010 से प्रभावी होगा। अध्यादेश के विस्तृत विवरण में यह वर्णित है कि अंग्रेजी अध्यापन एवं परीक्षा माध्यम के रूप में कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय के विभागों में व्यवहृत होगी।

उपर्युक्त कार्यबिंदु शैक्षणिक परिषद के विचारार्थ रखा गया और उसे कार्यकारी परिषद के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सिफारिश की गई।

कार्यवृत:

04:22.1 सदन ने इसे अनुमोदित कर दिया और अध्यादेश को कार्यकारी परिषद के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सिफारिश की।

एसी:04:23	**कोई अन्य मद अध्यक्ष जी की अनुमति से**

04:23.1 इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्यबिंदु नहीं होने के कारण अध्यक्ष जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हो गई।

(पीवी रवि)
रजिस्ट्रार एवं वित्त अधिकारी,
सचिव, शैक्षणिक परिषद